तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 149/2022** **अनवान स्टेट बनाम एम.एम.निकेतन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.07.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। पुनः बहस उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई। प्रतिवादी/ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि तहसीलदार (भुमिधारी) श्रीडूंगरगढ़ को वादगत भुमि के सम्बन्ध में दावा करने का अधिकारी नहीं है वादगत भुमि नगरीय सीमा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। नगरीय सीमा क्षेत्र की भुमि पर राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए की उपधारा 8 के तहत तहसीलदार के अधिकार एवमं प्राधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को प्रत्यायोजित कर दिये गये है। इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को ऐसी कार्यवाही (दावा) करने का अधिकार नहीं है इसलिये यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। तृतीय अनुसुची के क्रमांक 67 में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत कार्यवाही ऐसी कृर्षी भुमि को अन्य उदेश्य के लिए उपयोग करने पर तीन माह के भीतर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही न्यायालय में दायर करनी अनिवार्य है। लेकिन वादगत कृर्षी भुमि का आवसीय के रूप में उपयोग वर्ष 2012 से पुर्व से ही हो रहा है ऐसी स्थिती में दावा मियाद बाहर पेश किया गया है। इसलिये उक्त दावा खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान की काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 77 की उपधारा 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे दावे में अभिदारी में व अन्तरिती या उप तहसीलदार के किसी कार्य या लोप या शर्तभंग पर आधारित हो तो ऐसे समस्त अभिधारी व समस्त अन्तरिती को पक्षकार के रूप में संयोजित करना आवश्यक होगा। लेकिन वादगत दावा में वादी द्वारा उक्त कानुनी प्रावधानों का पालन नहीं करने ये दावा पेश किया है। वादी ने वादगत भुमि के किसी अन्तरिती को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिती में पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर उक्त दावा खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए (क) की उपधारा 5 में वर्णित परन्तुक के अनुसार राज्य सरकार कृर्षी भुमि को अन्य उदेश्य के लिये उपयोग करने या अन्तरित करने वाले व्यक्तियों को बेदखल के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 90 (क) की उपधारा 4 के अधीन दय नगर सुधार कर तथा प्रिमियम अदा करने पर उक्त भुमि को अन्य प्रायोजन के लिये अनुमति दे सकेगी। लेकिन वादी ने धारा 90 (क) के उपरोक्त प्रावधानों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिती में यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार नगरीय आवासन एंव स्वायत शासन विभाग द्वारा क्रमांक ए.17 (1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 की द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत कृर्षी भुमि की कालोनियों बाबत् स्पष्टीकरण बाबत अधिसुचना जारी की गई है। उक्त स्पष्टीकरण के अभिसुचना क्रम संख्या 9 में नगरीय क्षेत्र में कृर्षी भुमि का अकृषक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन नियम 2012 की नियम 15(3) अन्तर्गत कृर्षी भुमि पर बसी हुयी कालोनियों में खातेदार द्वारा आवेदन नही करने पर सुओ मोटो 90ए(8) तथा सर्वे की [illegible] सुविधा क्षेत्र रखते हुये लेआउट प्लान स्वीकृत उप[illegible]ये गये जावे। लेकिन वादगत भुमि के [illegible] जारी की गई उपरोक्त अधिसुचना दि[illegible] नहीं कि गये है । व [illegible] क्रमांक एफ3(54) नविवि/2/20211 पार्ट दिनांक 02.05.20[illegible] की अधिसुना में भी उपरोक्त प्रावधान किये गये है। लेकिन वादी [illegible] राज्य सरकार की उपरोक्त अधिसुचना में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में यह दावा खारिज किये जाने योग्य है एवं वादी वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:08 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2013(2) पृष्ठ संख्या 1326 से 1329 पेश की गई।

वादी/ अप्रार्थी ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगत भूमि नगरीय सीमा क्षेत्र स्थित होने से कार्यवाही करने का अधिकार प्रार्थी स्टेट को नहीं होने का कथन किया गया है, के संबंध में निवेदन है कि वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है, जिसके बाबत कार्यवाही का पूर्ण दायित्व प्रार्थी स्टेट का होने तथ्य खारिज योग्य है। पैरा संख्या 2 के तथ्य अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है। प्रार्थी तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ अंतर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सक्षम प्राधिकारी है। पैरा संख्या 4 के तथ्य अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं हैं, उक्त तथ्यो का निर्धारण प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। पैरा संख्या 5 के तथ्य अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं है, उक्त तथ्यो का निर्धारण प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण अंतर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया है, जो प्रार्थना–पत्र की श्रेणी में आता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद–पत्र को नामंजूर किये जाने के बावत् प्रावधान दिये गये है, जो प्रार्थना–पत्र के संबंध में पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिवत होने से खारिज योग्य है । प्रार्थना–पत्र के तहत प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण प्रकरण में साक्ष्य उपरान्त किया जाना है, इस स्तर पर साक्ष्य के बिना तथ्यों का परीक्षण किया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी काबिले खारिज है। पैरा संख्या 2 के तहत प्रार्थी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि वादगत भूमि का आवासीय उपयोग वर्ष 2012 से किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी एम. एम. निकेतन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय एवं संधारणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे तथा प्रकरण के तथ्य स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप प्रार्थी स्टेट को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से हैः–

आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगाः–

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन का ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायलय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वा[illegible] के कथन [illegible]त होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु [illegible] की शुद्धि के [illegible] अपेक्षित स्टाम्प– पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा [illegible] समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायलय [illegible] अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जा[illegible] है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करनें या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(च) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है।
(छ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेकजो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादी द्वारा वाद केवल मात्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जबकि पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया गया है। जबकि उक्त वाद में धारा 175 के तथ्य वादी द्वारा अपने वाद में प्रकट नहीं किये गये ना ही इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत है। पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपने ही द्वारा प्रस्तुत दावा को प्रार्थना पत्र की श्रेणी में होना बताया हे जबकि प्रकरण की सुनवाई इस न्यायालय में राजस्व वाद के रूप में की जा रही हैं इस लिये वादी का उक्त तथ्य अस्वीकार किया जाता है। वाद प्रस्तुत करनें से पूर्व तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को प्रतिवादी को पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार प्रकरणं में 90 क राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करतें हुए नोटिस जारी करनें के उपरान्त पूर्ण सुनवाई करने के बाद प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जाना था। वाद में अंकित खसरान भूमि पैराफेरी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। परन्तु वादी की ओर से इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही का उल्लेख अपने वाद में नहीं किया है। पैरोकारराज द्वारा वाद में बिना तथ्यों का परीक्षण किये उक्त जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 13:59:08 IST
Reason: SelfAttested